

उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद

नलकूप या पम्पसेट के लिए बिजली के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

सहायक/अधिशाषी अभियन्ता
विद्युत वितरण उपखण्ड/खण्ड

रजिस्ट्रेशन संख्या.....
25/सं० की रसीद संख्या
दिनांक.....



- 1- (क) प्रार्थी का नाम व पता - सत्येन्द्र कुमार अवधी
(ख) पिता का नाम - पुत्र बाग प्रमोद लाल अवधी
(ग) नाम ग्राम जिसमें बिजली लेना है - कोइली पट्टा धाना गोल्ला तहसील लखीमपुर
हास पावर
- 2- बिजली की शक्ति की मात्रा जिसके लिए आवेदन पत्र दिया जा रहा है। 7.5 HP
- 3- प्रार्थी का एकड़ों में वह क्षेत्र जिसकी नलकूप से सिंचाई की जायेगी। 1.29 संलग्न है।
- 4- इन्तखाब की नकल संलग्न की गई है।
- 5- नया नलकूप की बोरिंग (खुदाई) की गई है।
- 6- नलकूप की बोरिंग का खण्ड विकास अधिकारी का प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।
इससे पूर्व कृषि योग्य भूमि की सिंचाई किस साधन में की जाती है। इन्त
- 8- प्रार्थी के क्षेत्र तथा निकटवर्ती नहर के बीच की दूरी यदि निजी नलकूप नहर की 100 मीटर की दूरी से कम पर स्थित है तो बिजली की स्वीकृति के लिए 'अनापस्ति प्रमाण-पत्र' प्राप्त करना होगा।
इस आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है।
- 9- नलकूप के स्थल से बिजली के निकटतम खम्भे की दूरी कोई हो। 600 मी०
- 10- पाइप का व्यास चलनी (स्टेनर) की लम्बाई बोरिंग (खुदाई) की गहराई स्रोत की सतह, पहले वाल पानी फूटने की सतह की गहराई। 160 मी०
Jodanm Puri

नोट : खसरा, खतौनी/जोत वही की छाया प्रति प्रमाणित।

पत्र व्यवहार का पता - सत्येन्द्र कुमार अवधी

दिनांक : 04/07/22

पुत्र बाग प्रमोद लाल अवधी कच्ची 25 गोल्ला

कृषक का नलकूप तकनीकी तौर पर दिया जा सकता है। यह..... यह स्कीम में है तथा नया
11 के०वी० कोइली पट्टा फीडर से दिया जायेगा/प्रस्तावित कृषक पर या परिवार के सदस्य पर विद्युत सम्बन्धी कोई
बकाया नहीं है। सिंचाई का कार्य..... द्वारा किया जाता है।

ह० अभियन्ता

निजी नलकूप के प्रस्तावित स्थल गाटा संख्या 304

उपखण्ड अधिकारी
में बोरिंग चालू हालत में है। सिंचाई का कार्य
अ०श० देने की संतुति की जाती है।

डीजल चालित इंजिन से किया जा रहा है। बोरिंग नई है। नया नलकूप योजना.....

खण्ड विकास अधिकारी
खण्ड विकास अधिकारी
लखीमपुर-खीरी

4/07/22
अभिियन्ता
07/07/22
(रि० प्रकाश दत्त)
नगर अभियन्ता (अ०नि०)
क० २३० लखीमपुर-खीरी